मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 148 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा के चौरई विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति व बी.पी.एल. कार्ड धारकों को खाद्यान कूपन न दिये जाने,

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने सीधी एवं सिंगरौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कराये जाने,

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों को क्रेशर संचालन हेतु कामर्शियल दरों पर विद्युत प्रदाय न करने,

(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने नागदा की खाचरौद तहसील में कृषि भूमि के सीमांकन, नामांतरण व बंटवारे आदि में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासन के नियमों की अवहेलना होने,

(5) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा के हनुमना विकासखंड की माध्यमिक शाला बालक खटखरी को पुन: संचालित करने तथा

(6) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य ने जबलपुर में कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) बालाघाट विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवा के ग्राम बसेगांव में हाईस्कूल प्रारम्भ किया जाना

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि - बालाघाट विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवा के ग्राम बसेगांव में माध्यमिक विद्यालय संचालित है परन्तु यहां हाईस्कूल न होने से इसके आसपास के 10 गांव के बच्चे लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर ग्राम चागूटोला या कुकड़ा हाईस्कूल में अध्ययन करने हेतु जाते हैं. ये नक्सलवादी क्षेत्र होने से कई छात्र छात्राएं आठवीं के बाद आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं. अत: ग्राम बसेगांव में हाईस्कूल प्रारम्भ किया जाए.

(2) सागर जिले के बण्डा अनुभाग में अवैध संग्रहण एवं उत्खनन होना

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – सागर जिले के बण्डा अनुभाग में अवैध संग्रहण एवं उत्खनन का मामला उजागर हुआ है. एक हजार ट्रक एक्सपोर्ट क्वालिटी के काला पत्थर पकड़े गये हैं, जिसकी कीमत 50 करोड़ रूपये बताई है. प्रशासन द्वारा इस कार्य में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है. इसकी जांच प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग से करवाई जाए.

(3) देश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाना

श्री के.पी. सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – पिछले सत्र में और इस सत्र में भी मैंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने संबंधी संकल्प दिया है लेकिन दुर्भाग्य से चर्चा के लिए वो संकल्प सदन में नहीं आ पा रहा है कृपया उसको स्वीकार कर सदन में चर्चा कराएं.

(4) मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोगों के मकानों को जलाया जाना

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में 20 अल्पसंख्यक लोगों के मकानों को जला देने से लोग पलायन कर गये हैं. 2-3 दिन पहले वहां एक मस्जिद में आग लगा दी थी. वहां के अल्पसंख्यक लोग जब मुख्यमंत्री जी के राज में वहां सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित हो सकते हैं. इस संबंध में मेरे द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराई जाए.

(5) विधान सभा क्षेत्र सुवासरा के सीतामऊ के बी.एम.ओ. और डाक्टर्स का स्थानांतरण किया जाना

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – सुवासरा में पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं. सीतामऊ में कल ही एक आदेश आया है कि बीएमओ के अलावा दो डॉक्टर थे उनका वहां से स्थानांतरण कर दिया गया है. मेरा निवेदन है कि इनके ट्रांसफर को रोका जाए, जब तक वहां पर नवीन डॉक्टरों की स्थापना न हो जाये. नहीं तो इसके लिये आंदोलन की कार्यवाही की जाएगी.

(6) उड़द-मूंग एवं मसूर दालों की खरीदी की उचित व्यवस्था की जाना

श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – शासन के द्वारा आदेश है कि 31 जुलाई, 2017 तक उड़द-मूंग की खरीदी की जाएगी, लेकिन कल से जानकारी आ रही थी उड़द-मूंग की खरीदी बंद है. सिहोरा मंडी तथा पाटन मंडी में भी खरीदी बंद हो गई है.

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में अभी तक मसूर और उड़द के समर्थन मूल्य का खरीदी केन्द्र नहीं खोला गया है. नरसिंहगढ़ तहसील में ही नहीं पूरे राजगढ़ जिले में ही नहीं खोला गया है. मैं यह मांग करता हूं कि तत्काल नरसिंहगढ़ में मसूर और उड़द खरीदी का समर्थन मूल्य केन्द्र खोला जाये.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – यही कारण है कि किसान कर्ज के बोझ तले मर रहा है. परसों 18 तारीख को मेरे गांव इकलौद में खेत में ही हार्ट अटैक से एक किसान की मृत्यु हो गयी. ऐसे ही मुरैना और श्योपुर जिले में तीन किसान मर गये हैं. सरकार कर्ज माफी नहीं कर रही है. मूंग खरीदी की कोई स्पष्ट नीति नहीं है. मूंग खरीदी का केन्द्र श्योपुर बनाया है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से 180 किलोमीटर दूर है. उसमें किसानों का ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होगा ? यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी न हो, किसानों के लिये कुछ करें.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि – कल स्थगन प्रस्ताव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 31 जुलाई, 2017 तक प्रदेश में उड़द और मूंग की खरीदी होगी. यदि तब तक खरीदी नहीं होगी तो हम आगे भी तारीख बढ़ा देंगे. माननीय विधायक लोग यह कह रहे हैं कि आज ही खरीदी नहीं हो रही है तो क्या यह किसान विरोधी सरकार है, या किसान हितैषी सरकार है.

4. गर्भगृह में प्रवेश

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य पर खरीदी न किये जाने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया, सदन में नारेबाजी की गई और व्यवधान के कारण 12.13 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर मध्याह्न 12.26 बजे विधानसभा पुन: समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा.

(2) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 987/म.प्र.वि.नि.आ./2017 दिनांक 06 जुलाई, 2017, तथा

(ख) ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-28-2014-तेरह. दिनांक 16 मई, 2017

पटल पर रखीं.

(3) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का बारहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(4) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन की अनुपस्थिति में श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) के साथ ही उक्त वार्षिक प्रतिवेदन का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखा.

(5) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-30/2017/1/55 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 पटल पर रखी.

(6) श्रीमती ललिता यादव, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखा.

6. गर्भगृह में प्रवेश (क्रमश:)

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा किसानों की कर्ज माफी की मांग करते हुए एवं नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 2 दिनों से सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है. इतिहास में कभी किसानों से संबंधित स्थगन पर इतनी चर्चा नहीं हुई है. उसके बाद भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण और कृषि विकास ने आसंदी से अनुरोध किया कि मैं इस संबंध में सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं और माननीय सदस्यों की जो समस्या होगी इसका समाधान हम करेंगे.

व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 12.34 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 12.51 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि जिन जिलों में मूंग और उड़द की खरीदी अगर 31 जुलाई, 2017 तक न हो पाए तो मंत्री महोदय समय बढ़ा दें.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री अवगत कराया कि जिन जिलों में खरीदी बंद हो गई है वहां खरीदी चालू की जाएगी और 30 जुलाई तक पूरी खरीदी की जाएगी.

7. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेश्नल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण किसानों की कर्ज माफी की मांग करते हुए गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे एवं धरने पर बैठ गए.

8. ध्यानाकर्षण

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य ने बालाघाट जिले में बंदोबस्त कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. बहिर्गमन

किसानों की कर्ज माफी न होने के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य ने सुसनेर क्षेत्र में अटल ज्योति अभियान के तहत फीडर विभक्तिकरण का कार्य सुचारू रूप से न होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 1	श्री शंकरलाल तिवारी	50 मिनिट
2.	क्रमांक – 4, 20	सर्वश्री के.पी. सिंह, शैलेन्द्र पटेल	50 मिनिट
3.	क्रमांक - 26	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	50 मिनिट

श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(2) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(3) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(4) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)

(6) श्री प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(7) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(9) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(10) श्री ओमकार सिंह मरकाम (जिला-डिण्डौरी)
(11) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(12) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(15) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(16) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(17) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(18) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(20) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(21) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर))
(22) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(23) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(24) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(25) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(26) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(27) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(28) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(29) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(30) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(31) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(32) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(33) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)

13. शासकीय वक्तव्य

श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के संबंध में वक्तव्य दिया.

14. वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 21 जुलाई, 2017 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री बहादुर सिंह चौहान
(2) श्री दुर्गालाल विजय

16. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद 7 तक का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री दुर्गालाल विजय
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

श्री अंतर सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री अंतर सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

18. शासकीय वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं समस्त एकेवीएन तथा आई.आई.डी.सी. ग्वालियर के विलय/पुनर्गठन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अग्रवाल

(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 1.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 (30 आषाढ़, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 जुलाई, 2017